संख्या-71/2026/501/तीस-1-2026/ई-2041310

प्रेषक,

के0 पी0 सिंह

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक** 08 **सितम्बर, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु नई इलेक्ट्रिक बसों के क्रय किये जाने हेतु ₹40,000.00 लाख की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र संख्या–1105 एमटी/जी/2026-211एमटी/91-।। दिनांक 12.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु नई इलेक्ट्रिक बसों के क्रय किये जाने हेतु ₹40,000.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु धनराशि रू0 40000.00 लाख (रू0 400.00 करोड़) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि रू0 400.00 करोड़ (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
3. कार्यों के द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगें।
4. परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

5. धनराशि का आहरण राजकोष के तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
6. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा क्रय सम्बन्धी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये एवं जहां टेंडर आदि की आवश्यकता हो वहां शासनादेश संख्या-655/तीस-1-2026/ई-2041310 दिनांक 22.07.2026 का भी नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त/परिवहन निगम का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
10. उक्त बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 40,000.00 लाख के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू0 2550.00 लाख का व्यय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-043-परिवहन विभाग के लेखा शीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-04-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी-0402-बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या–E9-96-X2026-27-दिनांक 07-09-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:71/2026/501(1)/तीस-1-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
7. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
9. परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
18. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-

अरविन्द कुमार

अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in